न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 47/23

दयाराम बनाम इन्द्रा वगैरह

पक्षकारान

अन्तर्गत धारा 251 (क) राज0 काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11

निर्णय

निर्णय दिनांक 06.02.2025

प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पेश कर कथन किया गया कि :– उ प्रकरण में शिकायत कर्ता दयाराम ने माननीय न्यायालय को मुगालते में रख यह झूठा प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर प्रस्तुत किया है जो इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा ग्राम मोडसरा का बास से ग्राम कुमास जाने के लिए वैकल्पिक रास्ते की मौजूदगी के बावजूद यह प्रार्थना पत्र अ०धा० 251 (क) रा० का० अ० 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जो उक्त प्रकरणों के आधार पर विधि विरुद्ध होने से इसी स्तर पर ख़ारिज होने योग्य है।प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में स्वयं दर्ज किया है कि दिनांक 06–04–2023 को तहसीलदार मंडावा द्वारा उक्त रास्ते, ग्राम मोडसरा का बास से ग्राम कुमास जाने के लिए को चालू रखने का निर्णय किया गया है जो अनवरत चालू है। जबकि माननीय न्यायालय को इस तथ्य से जानबूझकर मुगालते में रखा गया है जिसे इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।सर्वप्रथम माननीय न्यायालय के समक्ष दयाराम द्वारा उक्त प्रकरण के दर्ज किये जाने का वादकारण ही उत्पन्न नहीं होता इसलिए वादकारण के अभाव में उक्त प्रकरण मेन्टेनेबल न होने के कारण प्रथम पायदान पर ही इसी स्तर पर खारिज होने योग्य है।इसी रास्ते बाबत एक प्रकरण प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 250 रा० का० अ० 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था, जिसमे दिनांक 06–04–2023 को तहसीलदार मंडावा द्वारा निर्णय किया जा चुका है। इसलिए इसके पश्चात् इसी आधार व रास्ते बाबत दयाराम ने उक्त प्रार्थना पत्र अ०धा० 251 (क) रा० का० अ० 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर दिया है जो विधि– विरुद्ध होने से इसी स्तर पर खारिज होने के काबिल है । अगर दिनांक 06–04–2023 को तहसीलदार मंडावा द्वारा किये गये निर्णय की प्रार्थी भीमसिंह उर्फ़ भींवाराम द्वारा अवहेलना की जाती तो उसके लिए कोट ऑफ कंटेम्ट की कार्यवाही की जानी चाहिए थी, उक्त प्रार्थना पत्र के किये जाने ककोई औचित्य नहीं था इसलिए उक्त बोगस प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाना न्यायोचित है।प्रार्थी ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नक्शे को परिवर्तित कर गलत नक्शा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसकी वजह से प्रार्थी दयाराम के विरुद्ध अलग से फौजदारी कार्यवाही की जावेगी और इस गलत नक्शे को आधार मानकर माननीय न्यायालय द्वारा किसी गलत निर्णय दिए जाने से बचना न्यायोचित है।प्रार्थी दयाराम द्वारा अ०धा० 251 (क) रा० का० अ० 1955 के अन्तर्गत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत तो कर दिया गया है जबकि 251 (क) में विधि द्वारा स्थापित कोई भी जायज व स्पष्ट अनुतोष की मांग नहीं की गयी है। इसलिए अधूरे व अस्पष्ट प्रार्थना पत्र के अभाव में भी यह प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर ख़ारिज होने के काबिल है।यह सेटल्ड लॉ/ विधि का सुस्थापित सिध्दांत है कि वैकल्पिक रास्ते की मौजूदगी में अ०धा० 251 (क) रा० का० अ० 1955 के प्रावधान लागु नहीं होते हैं। इसलिए विधि विरुद्ध होने की वजह से उक्त प्रकरण इसी स्तर पर काबिले खारिज है।विधि का यह सुस्थापित सिध्दांत (Settled Law) है कि वैकल्पिक रास्ते की मौजूदगी में कोई भी काश्तकार अ०धा० 251 (क) रा० का० अ० 1955 के अन्तर्गत ऐसी नाजायज मांग नहीं कर सकता इसलिए माननीय न्यायालय को उक्त नाजायज मांग मानने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय के पास अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत नहीं है। इसलिए विधि विरुद्ध होने की वजह से उक्त प्रकरण इसी स्तर पर काबिले ख़ारिज है।अतः प्रार्थना– पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 को स्वीकार फरमाया जाकर वादकारण के अभाव, याचिकाकर्ता की मांग विधि विरुद्ध व सेटल्ड लॉ/ विधि के सुस्थापित सिध्दांत के विरुद्ध होने व कुटरचित नक्शा प्रस्तुत किये जाने के कारण उक्त प्रकरण को इसी स्तर पर निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करने की फरमावें।

वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की धारा 1 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की धारा 2 अस्वीकर है। प्रार्थना पत्र की धारा 2 में दर्ज ऐसा कोई वैकल्पिक रास्ता मौक पर मौजूद नही है। अनावेदक ने उक्त धारा में झुठे तथ्ये दर्ज किये है तथा उक्त प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध नही है। प्रार्थना पत्र की धारा 3 जिस प्रकार से दर्ज है स्वीकार नहीं है।प्रार्थना पत्र की धारा 4 अस्वीकार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र 251क में स्पष्ट वाद कारण दर्ज किया है। अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र झुठे एवं मनगढंत तथ्यों पर प्रस्तुत किया है जो कि खारिज होने योग्य है।प्रार्थना पत्र की धारा 5 जिस प्रकार से दर्ज है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी ने पहले जो प्रार्थना पत्र तहसीलदार मण्डावा के प्रस्तुत किया था वो बंद रास्ते को बुलवाने के लिए था जिसमें तहसीलदार मण्डावा ने रास्ता खोलने के आदेश दिये थे चुकि उक्त रास्ता काटानी नहीं है इसलिए प्रार्थी ने अ.धा. 251क के तहत उक्त रास्ते को कटानी घोषित करवाने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसे प्रस्तुत करने का प्रार्थी को कानूनी अधिकार है।प्रार्थना पत्र की धारा 6,7,8 जिस प्रकार से दर्ज है अस्वीकार है प्रार्थी द्वारा स्पष्ट रूप से प्रार्थी के खेतमें आने जाने हेतु रास्ते की मांग की गई है प्रार्थना पत्र की धारा 9 अस्वीकार है। प्रार्थी के खेत में जाने के लिए कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। इसलिए प्रार्थी ने अ.धा. 251क में उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र की धारा 10 अस्वीकार है। अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र झूठे एवं मनगढंत तथ्यों पर पेश किया है जो कि खारिज होने योग्य है।अतिरिक्त उत्तरः–यह कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ. आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधान किसी भी वाद पत्र के लिए है। उक्त आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधान किसी प्रार्थना पत्र पर लागू नहीं होते है इसलिए अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानून विरूद्ध होने की वजह से खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र झुठे एवं मनगढंत तथ्यों पर पेश किया है जो कि मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जाने के आदेश प्रदान करें।

जवाब देही पूर्ण होने पर विद्वान अभिभाषकगणों की बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी (प्रतिवादी) ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम मोडसरा का बास से ग्राम कुमास जाने के लिए वैकल्पिक रास्ते की मौजूदगी के बावजूद यह प्रार्थना पत्र अ०धा० 251 (क) रा० का० अ० 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जो उक्त प्रकरणों के आधार पर विधि विरुद्ध होने से इसी स्तर पर ख़ारिज होने योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी (वादी) ने दौरान बहस वकील प्रार्थी के कथन पर कथन किया कि किसी भी प्रार्थना पत्र में अ. आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधान लागू नहीं होते है उक्त प्रावधान केवल वाद पत्र के सम्बन्ध में है। प्रार्थी के खेत खसरा में कटानी रास्ता मौजूद नही होने के कारण से रास्ता कायम करवाने बाबत उक्त प्रार्थना पत्र 251 ए पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 खारिज करने का श्रम करावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 में दर्ज तथ्यों एवं उस पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर गौर फरमाया। दौराने बहस अधिवक्ता के कथनों पर मनन किया। मिसल में मौजुद तहसीलदार मण्डावा की रास्ता मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीपक्ष द्वारा चाहा रास्ता डोडेट प्रचलित रास्ता मौके पर वर्तमान में चालू है।

विधि के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधरी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसीसुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर,

जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

इससे स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड में नवीन रास्ता दर्ज करने अथवा विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए के प्रावधान लागु होते है । जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता राजस्व रिकार्ड में डोटेड होकर प्रचलित है उक्त रास्ता वर्तमान में मौके पर आवागमन हेतु चालू है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 251 क के तहत चाहा गया अनुतोष दिया जाना संभव नही है। अतः समस्त तथ्यों एवं साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 क आर.टी एक्ट 1955 विधिक प्रकिया मे नही होने से खारीज किया जाता है। डोटेड एवं प्रचलित रास्तो को राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ते दर्ज किये जाने हेतु धारा 131 व 132 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में सुष्पष्ट प्रावधान किये गये है। अतः तहसीलदार मण्डावा को हिदायत दी जाती है कि हस्तगत प्रकरण में वर्णित डोटेड प्रचलित रास्तें के संबंध जांच कर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा